प्रेस विज्ञप्ति
25.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत मेसर्स संतोष ओवरसीज़ लिमिटेड (एसओएल), उसके प्रमोटरों, निदेशकों व उससे संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध चल रही जांच के संबंध में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में उक्त संस्थाओं के प्रमोटरों, संबंधित कंपनियों व सुविधा प्रदाताओं से संबंधित दस परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने बैंकों के एक संघ की ओर से आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह जांच एसओएल द्वारा लिए गए बैंक ऋण की धोखाधड़ी से हेराफेरी और विपथन से संबंधित है, जिसके कारण बैंकों के संघ को लगभग 450 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

जांच से पता चला है कि एसओएल के प्रमोटरों ने बिना किसी वास्तविक व्यापारिक गतिविधियों के, फर्जी खरीद-बिक्री के लेन-देन, नकली इनवॉइस और फंड के सर्कुलर मूवमेंट का इस्तेमाल करके, शेल कंपनियों, अकोमोडेशन एंट्री ऑपरेटरों व संबंधित कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए अपराध से अर्जित आय को विपथित व शोधित किया। जांच में आगे पता चला कि जाली या दुरुपयोग किए गए पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके कई फर्जी संस्थाएं बनाई गईं, जिनका एकमात्र उद्देश्य धन का हेरफेर करना और फर्जी प्रविष्टियां बनाना था। जांच में यह भी पता चला कि प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित कई संस्थाओं के माध्यम से धन का हेरफेर किया गया, जो अपराध की आय के हेरफेर और एकीकरण को दर्शाता है।

अपराध से अर्जित आय की हेराफेरी (धन-शोधन) से जुड़े प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों, संबंधित संस्थाओं, एंट्री ऑपरेटरों और वैधानिक लेखा परीक्षकों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 10.5 लाख रुपये नकद ज़ब्त किए गए। इसके अलावा, परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों के नाम पर मौजूद लगभग 75 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित अभिलेख भी बरामद किए गए। साथ ही, धन को विपथित करने, लेयरिंग और हेराफेरी से जुड़े कई अपराध-संकेती दस्तावेज़, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय अभिलेख भी बरामद कर ज़ब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।